इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 16.03.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एकराय होकर हत्या करने वाले 12 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 02 अभियुक्तों को 25,000/-25,000-/ रूपये का अर्थदंड एवं 10 अभियुक्तों को 20,000 -20,000/-रुपये का दिया गया अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना चौबिया व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते एकराय होकर हत्या करने वाले 12 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 02 अभियुक्तों को 25,000/-25,000-/ रूपये का अर्थदंड एवं 10 अभियुक्तों को 20,000 -20,000/-रुपये का दिया गया अर्थदण्ड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.05.2012 को वादी संजय पुत्र धीरज सिंह निवासी सीपुरी थाना चौबिया जनपद इटावा द्वारा थाना चौबिया पर सूचना दी गयी कि उसी के गांव के निवासी व्यक्तियों द्वारा एकराय अवैध शस्त्रों से वादी के घर फायरिंग की गयी जिसमें वादी के पिता की मृत्यु हो गयी एवं 08 व्यक्ति घायल हो गये, **सूचना पर तत्काल थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 157/12 धारा 147/148/149/307/302/504 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी सैफई श्री सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामयज्ञ द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्तगण रघुवीर सिंह पुत्र विद्याराम, संदीप पुत्र संतोष कुमार शर्मा, ग्रीश पुत्र रामनाथ शर्मा, मानसिंह पुत्र बच्चन लाल, छोटे लाल पुत्र अनन्तराम, संजू पुत्र भूपनारायण, अनिल कुमार पुत्र शमशेरबहादुर, अनमोल शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र शुक्ला, पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र बलवीर सिंह यादव, संदीप सविता पुत्र रामशंकर, श्याम पुत्र शिवकुमार बनिया, सुधीर कुमार पुत्र रामशंकर यादव के विरूद्ध आरोप** पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना चौबिया पुलिस टीम, पैरोकार का0 दानवीर सिंह एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री रमाकान्त चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को **आज दिनांक 16.03.2024 को अंतर्गत धारा 147/148/149/307/302/504 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी(पी0ए0) एक्ट/न्यायालय जनपद इटावा द्वारा कुल 12 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा तथा ग्रीश कुमार एवं संदीप सविता को 25,000/-25,000-/ रूपये का अर्थदंड एवं 10 अभियुक्तों को 20,000 -20,000/-रुपये का दिया गया अर्थदण्ड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. रघुवीर सिंह पुत्र विद्याराम निवासी सीपुरी थाना चौबिया जनपद इटावा।
2. संदीप पुत्र संतोष कुमार शर्मा निवासी सीपुरी थाना चौबिया जनपद इटावा।
3. ग्रीश पुत्र रामनाथ शर्मा निवासी सीपुरी थाना चौबिया जनपद इटवा।
4. मानसिंह पुत्र बच्चन लाल निवासी सीपुरी थाना चौबिया जनपद इटावा।
5. छोटे लाल पुत्र अनन्तराम निवासी सीपुरी थाना चौबिया जनपद इटावा।
6. संजू पुत्र भूपनारायण निवासी सीपुरी थाना चौबिया जनपद इटावा।
7. अनिल कुमार पुत्र समशेरबहादुर निवासी सीपुरी थाना चौबिया जनपद इटावा।
8. अनमोल शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र शुक्ला निवासी आदर्श नगर भरथना थाना भरथना जनपद इटावा।
9. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र बलवीर सिंह यादव निवासी सूजीपुर थाना भरथना जनपद इटावा।
10. संदीप सविता पुत्र रामशंकर निवासी मोतीनगर थाना भरथना जनपद इटावा।
11. श्याम पुत्र शिवकुमार बनिया निवासी कृष्णानगर थाना भरथना जनपद इटावा।
12. सुधीर कुमार पुत्र रामशंकर यादव निवासी मोतीगंज थाना भऱथना जनपद इटावा।